Rules & Regulations
(Extract)

1) No refund after admission.
किसी भी स्तिथि में भुगतान किया जा चूका कोई भी शुल्क वपस नहीं होगा।

2) In case, a student behaves in an indisciplined manner, the school reserves rights to expell & after collection of dues if any TC will be issued.
विद्यालय में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता होने पर विद्यालय से निष्कासित कर देय राशि के जमा होने के बाद ही टी की दी जाएगी

3) The minimum required attendance for annual examination is 75%
वार्षिक परिष्का में बैठने हेतु न्यूनतम उपस्तिथि 75 प्रतिशत अनिवार्य है

4) The leave will be granted only if the application is duly signed by the authorised person. Remember this never count for attendance
विद्यार्थीओ का अवकाश पालक के हस्ताक्षर के बिना स्वीकृत नहीं किया जाएगा। स्वीकृत होने पर भी यह उपस्तिथि नहीं मानी जाएगी।

5) The students must report school timely and in well ironed school uniform.
विद्यार्थी विद्यालय की सही पोशाक में समय पर विद्यालय आएँगे।

6) Each student and parents are bound to follow the rules set by the school management.
प्रत्येक विद्यार्थी एवं पालक संस्था के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करेंगें।

7) Admission is subject to approval by the management.
किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश देने का अंतिम निर्णय विद्यालय प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा।

8) In case of change in house address or mobile phone number inform to school accordingly & get it recorded.
पालकगण समय-समय पर पता व फोन नंबर बदलने की सूचना तत्काल कार्यालय में देवे एवं आवश्यक सुधार करवा ले

9) Parents please note, no student will be allowed to leave school in mid working hours unless the identified escort is deputed.
विद्यालय अवधि के दौरान किसी भी छात्र को बिना पालक के सहमति के नहीं छोड़ा जायेगा। केवल पहचानयुक्त व्यक्ति ही आये।

10) Bringing valuable articles is structly prohibited. School takes no responsibility.
अनावश्यक कीमती वस्तु लाना वर्जित है, विद्यालय जिम्मेवार नहीं होगा।

11) A student suffering from an epidemic/pandemic disease should be sent to school after recovery but with certificate of fitness. Please apply to this effect.
किसी भी प्रकार की महासंक्रामक / संक्रामक बीमारी होने पर विद्यालय नहीं आयेंगे। इसके लिए समय पर उपयुक्त आवेदन दे। स्वस्थ्य होने का प्रमाण पत्र लेकर ही विद्यालय आये।

12) It is necessary to wrap books and the notebooks with brown paper and paste the name slip. This maintains the standard & longevity of the same.
विद्यार्थियों को अपने नोटबुक एवं किताब पर कवर लगाना एवं नाम लिखकर लाना अनिवार्य है, इससे उनके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव बनेगा

13) Only Quarter fee concession in tuition fee available to younger one only as per school rules.
विद्यालय प्रबंधन द्वारा शाला में अध्ययनरत सहोदर छात्र-छात्राओं को केवल शिक्षण शुल्क में विद्यालय के नियमानुसार चौथाई छूट मिल सकेगी।

14) Participation in school programmes is compulsory for all students.
सभी छात्रों को विद्यालय द्वारा आयोजित गतिविधियों एवं समारोह में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

15) No transactions on gazzetted or school holidays.
विद्यालयीन व शासकीय अवकाश में कार्यालयीन कार्य नहीं हो सकेंगे।

16) Any special individual postal communication charge will be realised from individual.
विशेष पत्राचार व्यक्ति संबंधित से लिया जायेगा।

17) Principal decision will be the final.
किसी भी स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

18) All the above are the extract of rules to moderate your ward positively.
उपरोक्त नियमावली सार-संक्षिप्त है जो आपके पाल्य को उत्तम छात्र बनाने में सहायक होगी।

19) Any misconduct by a student through electronic social media, poster or print media displayed by students(s) involving school or related information misbehaviour etc will be suitably punished.
किसी विद्यार्थी द्वारा इलेक्ट्रानिक या प्रिंट मीडिया से विद्यालय, शिक्षक या किसी अधिकारी के प्रति की गयी टिप्पणी या चरित्र हरण नियमानुसार अपराध की श्रेणी में आयेगा और उचित दंड मिलेगा।

20) Transport Fee: The buses will operate as per government orders. The Bus Fee will be charged from the month from which bus facility will be availed.
यातायात शुल्क : बस के संबंध में शासन द्वारा लिए निर्णय के उपरान्त ही बस का संचालन होगा। जिस माह से बस सुविधा ली जायेगी उसी माह से बस शुल्क लागू होगा।

21) The schoolfee related directives of the state government will be implemented from the day of notification. The fees paid prior to this notification may be adjusted.
शासन द्वारा शुल्क संबंधी कोई भी निर्देष जारी होने पर आदेश दिनांक से लागू किया जायेगा। आदेश दिनांक के पूर्व पालक द्वारा जमा की गई किसी भी तरह के शुल्क को समायोजित नहीं किया जायेगा।

22) If the price in diesel increases abrupty then the bus fee will be increased accordingly.
डीजल की कीमतों में यदि अत्याधिक वृद्धि होती है तो बस शुल्क में वृद्धि संभव होगी।